न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2014 (राजस्व अपील)

अनवान

1. श्रीमती सनता पत्नि श्री केहरा गमेती, पुत्री स्व. श्री रूपा जी, निवासी–जेर, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

–अपीलार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री पुना पिता रूपा गमेती, निवासी–जेर, तहसील–कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरियें तहसीलदार कोटड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री सुनिल सोमानी, अधिवक्ता अपीलार्थीया।
2. श्री कविश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध म्युटेशन सं. 129 न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा आदेश दिनांक 21.01.1983

* निर्णय *

दिनांक– 02-02-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 129 तहसीलदार कोटड़ा दिनांक 21.01.1983 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मौजा जेर, तहसील कोटड़ा मे अपने पिता रूपाजी के साथ वर्षो से निवास करती रही हैं। रूपाजी का एक पुत्र पुना एवं अपीलार्थी हुए हैं। अपीलार्थी अपने भाई पुना से काफी बड़ी थी एवं अपने भाई पुना की नाबालिग अवस्था मे सेवा सुश्रुषा इसके द्वारा ही की गई थी। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट भाई बहन अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे हैं। अपीलार्थी के पिता रूपाजी की मौजा जेर, तहसील कोटड़ा मे पैतृक एवं स्वअर्जित कृषि भूमि जिसमे पैतृक कुल कृषि आराजीयात किता 14 रकबा 20.19हे. हैं, पर अपीलार्थी अपने पिता के जीवनकाल मे कृषि कार्य करती रही हैं एवं रेस्पोडेन्ट भाई है, जो बालिग होने पर वह भी अपनी बहन एवं पिता के साथ वर्णित आराजीयात मे कृषि करते रहे हैं। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत से पैतृक भूमि का नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 03.01.2008 अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के नाम पर खोला गया व नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे अंकित हुई हैं। वर्तमान मे अपीलार्थी ने अपनी स्वीकृति से उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर कृषि किये जाने के संबंध मे अपने भाई रेस्पोडेन्ट को अधिकृत कर रखा हैं, जो वर्णित कृषि आराजीयात पर सम्पूर्ण कृषि करता चला आ रहा हैं। अपीलार्थी के पिता स्व. श्री रूपा की स्वअर्जित कृषि आराजीयात मौजा जेर मे स्थित है, जिसके आराजी संख्या 312/69 रकबा 15 बीघा एवं आराजी संख्या 316/184 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16.10 बीघा है, जो राजस्व रेकर्ड मे अपीलार्थी एवं

रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम अंकित रही है एवं कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग अपीलार्थी द्वारा अपने पिता के समय से किया जाता रहा हैं एवं उक्त वर्णित आराजीयात अपने पिता के जीवनकाल से अपीलार्थी काबिज होकर अपना स्वयं का निवासीय मकान करीब 40 वर्ष पूर्व से बना रखा हैं। अपीलार्थी के 6 पुत्र एवं एक पुत्री है। उसमे से 4 पुत्र शादीशुदा एवं 2 पुत्र एवं एक पुत्री अविवाहित हैं, वे भी उक्त आराजीयात पर मकान बना कर रह रहे हैं। अपीलार्थी के पिता का 1981 मे स्वर्गवास हो गया था। उसके स्वर्गवास के पश्चात् वारिसाना हक से उक्त स्वअर्जित आराजीयात पर अपीलार्थी एवं अपने भाई रेस्पोडेन्ट के नाम पर नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने एक आवेदन सक्षम राजस्व अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया कि श्री रूपा अर्थात रेस्पोडेन्ट के पिता फोत हो गये है एवं मै उनका एकमात्र जायन्दा पुत्र पुना हूॅ, जिससे विरासत से नामान्तरकरण खोला जावें। सबंधित पटवारी ने दिनांक 10.01.1983 को तहसीलदार के समक्ष अपनी कार्य टिप्पणी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 21.01.1983 को रेस्पोडेन्ट के नाम पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित कर दिया एवं नामान्तकरण रूपा पिता लखमा गमेती के बजाय पुना पिता रूपा गमती के नाम पर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे उस आधार पर अंकन किया गया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा पैतृक वर्णित आराजीयात जो अपने पिता लखमा पिता हमीरा के नाम पर अंकित रही है एवं लखमा की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण उनके पुत्र रूपा के नाम पर खुला एवं रूपा की मृत्यु के पश्चात वारिसाना हक से अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के नाम पर विधिवत 03.01.2008 को तहसीलदार के आदेश से स्वीकृति प्रापत कर खोला गया, लेकिन स्वअर्जित कृषि आराजीयात जो अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम रही उसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट ने केवल अपने नाम पर ही खोले जाने का आवेदन करते हुए अपने नाम पर नामान्तरकरण तहसीलदार कोटड़ा से खुलवाने की स्वीकृति प्राप्त कर अमल दरामद कर लिया। विरासत से नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व विधिक जांच नहीं की गई एवं अपीलार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया गया हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि विरासत से नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच पडताल किया जाना मेन्डेटरी प्रावधान बना रखा है एवं अपीलार्थी मृतक रूपा की पुत्री होकर रेस्पोडेन्ट की सगी बहन है एवं उसे विरासत के आधार पर खोले गये नामानतरकरण से वंचित नही रखा जा सकता हैं। उक्त वर्णित स्वअर्जित कृषि आराजीयात 16.10 बीघा हैं। अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण खोले जाने की जानकारी पूर्व मे कभी भी नहीं हुई हैं। अपीलार्थी उक्त भूमि पर विधिक तौर पर विकास करने के लिये बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहती थी एवं उनसे सम्पर्क करने पर एवं पटवारी से मिलने पर उसे आराजी संख्या 312/69 एवं 316/184 कुल किता 2 रकबा 16.10बीघा भूमि का विरासत से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम पर खुलने की जानकारी हुई। इस प्रकार पैतृक कृषि आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 03.01.2008 को विरासत से अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के नाम पर खोला गया एवं किन्तु मृतक रूपा के स्वअर्जित भूमि नामान्तरकरण दिनांक 21.01.1983 मे मृतक रूपा का एकमात्र जायन्दा पुत्र होना बताकर स्वयं के नाम पर खुलवा लिया। रेस्पोडेन्ट के मन मे बदनियती आने से अपने पिता की स्वअर्जित

भूमि को अकेला ही हडपना चाहता था। अपीलार्थी मृतक रूपाजी की पुत्री है एवं पिता की स्वअर्जित कृषि आराजीयात मे भी उसका विधिवत, हक हिस्सा, स्वामित्व अधिकार निहित है। इस प्रकार मृतक श्री रूपा के स्व अर्जित भूमि का तहसीलदार कोटड़ा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 21.01.1983 जो रेस्पोडेन्ट के नाम पर त्रुटिपूर्ण खोला गया है, को निरस्त किया जाकर वारिसाना हक से नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के नाम पर खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 श्री पुना पिता रूपा गमेती की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कविश जैन द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण मे अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रकरण मे तहसीलदार कोटड़ा से वारिसान की जानकारी मंगवाई गई एवं उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस प्रारंभ करते हुए अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस मे वर्णित अनुसार स्पष्ट किया कि अपीलार्थी के पिता की मौजा जेर, तहसील कोटड़ा मे पैतृक एवं स्वअर्जित कृषि आराजीयात स्थित है, जिसमे पैतृक कृषि आराजीयात कुल रकबा 14 क्षेत्रफल 20.19हे. है तथा वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात मे अपीलार्थी अपने पिता के जीवनकाल से कृषि कार्य करती थी एवं रेस्पोडेन्ट भाई है, जो उस वक्त नाबालिग होने के कारण बहन व पिता के साथ काश्त करता था। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के पिता का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से नामान्तकरण संख्या 253 दिनांक 03.01.2008 को रेस्पोडेन्ट व अपीलार्थी के नाम पर राजस्व रेकर्ड मे जांच पडताल करते हुए दोनो के नाम पर खोला गया। मृतक पिता की स्वअर्जित कृषि आराजीयात जिसके आराजी संख्या 312/69 रकबा 15 बीघा एवं आराजी संख्या 316/184 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 16.10बीघा भूमि पर भी अपीलार्थी अपने पिता के जीवनकाल से उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं एवं उक्त भूमि पर अपीलार्थीया का 40 वर्ष पुराना मकान भी बना हुआ है, जिसमे अपीलार्थीया के पुत्र पुत्रिया निवास करते चले आ रहे हैं। पिता का स्वर्गवास 1981 मे हो जाने पर पिता के स्वअर्जित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 21.01.1983 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर एक मात्र जायन्दा पुत्र होना बताकर खोल दिया गया। इस प्रकार विधिक वारिसान की जांच किये बिना उक्त नामान्तरकरण खोला गया हैं। पिता द्वारा स्वअर्जित कृषि आराजीयात मे उनकी मृत्यु के पश्चात् खोले गये नामान्तरकरण मे अपीलार्थी को वंचित रखे जाने का कोई विधिक कारण नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा इस बाबत् कभी कोई सहमति व्यक्त नहीं की गई एवं सहमति व्यक्त किये जाने स्वरूप कोई लिखित सहमति पत्र रेकर्ड पर भी उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार खोला गया नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के विपरित होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 21.01.1983 को निरस्त किया जाकर वारिसान हक से स्व. श्री रूपा जी के स्थान पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के नाम पर विधिवत नामान्तरकरण खोला जावें।

बहस मे भाग लेतें हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुना के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस मे वर्णित अनुसार कथन किया कि अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि वह मौजा जेर, तहसील कोटड़ा मे अपने पिता के साथ निवास कर रही हो या रेस्पोडेन्ट की नाबालिग अवस्था मे उसके द्वारा सेवासुश्रुषा की गई हो। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता श्री रूपा का स्वर्गवास हो जाने पर आपसी सहमति से नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 03.01.2008 को रेस्पोडेन्ट एवं अपीलार्थी के नाम पर खोला गया एवं राजस्व रेकर्ड मे अंकित किया गया। आराजी संख्या 312/69 रकबा 15 बीघा एवं आराजी संख्या 316/184 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकर्ड मे पिता श्री रूपा की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अकेले के खाते मे दर्ज हुई हैं। चूंकि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जनजाति के है, इस कारण अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार उतराधिकार के कानून लागू नही होते हैं। अपीलार्थी का विवाह हो चुका है एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जायदाद उसके पुरूष उतराधिकारियों के खाते मे दर्ज की जाती हैं। इस कारण नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेन्ट स. 1 के नाम पर खोला गया हैं। अपीलार्थी द्वारा मौके पर कोई मकान इत्यादि नहीं बनाये गये हैं। पिता की मृत्यु 1981 मे हो जाने के पश्चात् जातिगत प्रथा एवं विधि के प्रावधानानुसार नामान्तरकरण खोला गया हैं, जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल या त्रुटि नहीं हैं। पैतृक कृषि आराजीयात मे सहमति से अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहमति से नामान्तरकरण खोले गये हैं। प्रार्थना पत्र मे वर्णित अन्य भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही आधिपत्य हैं एवं उसे द्वारा ही काश्त की जा रही हैं। श्री रूपा जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि केला देवी, उनकी पुत्री जमना एवं शारदा तथा अपीलार्थी जीवित है, उसके पश्चात् भी नामान्तरकरण मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम ही खोला गया है। चूंकि विधि के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् केवल पुरूष वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण खोला जाता हैं। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी 10.01.1983 को हो गई थी, फिर भी उनके द्वारा इस बाबत कोई अपील या वाद सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं स्वयं को वारिस बताया है, जबकि मृतक रूपा के अन्य वारिसान भी जीवित है। अपीलार्थी द्वारा जानबुझकर उक्त तथ्य को छुपाया गया हैं एवं यदि अपीलार्थी विरासत के आधार पर अपील प्रस्तुत करते है तो सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हैं। इस कारण विधि के प्रावधानों के अनुसार उक्त अपील प्रस्तुत नहीं करने से उक्त अपील खारिज होने योग्य हैं।

प्रकरण मे तहसीलदार कोटड़ा द्वारा मृतक श्री रूपा के वारिसान की रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश की गई। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के साथ सलंग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार उपस्थित मौतबिरान के अनुसार रूपा की मृत्यु के बाद रूपा के वारिसान के नाम रेकर्ड पर आने थे, लेकिन मौके अनुसार रेकर्ड पर वारिसान के नाम नहीं हैं। वारिसान की स्थिति निम्न प्रकार है–

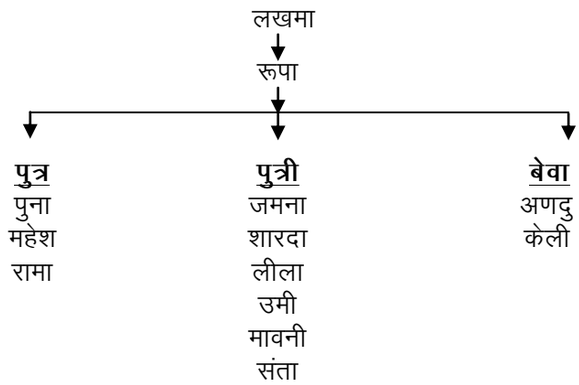

रूपा की विवाहित पत्नि केली व अणदु थी, जो की जीवित होकर अन्य व्यक्ति हाबला के साथ गुजरात मे रह रही है। अणदु की संतान पुत्री संता हैं। केली रूपा की दुसरी पत्नि हैं, जो वर्तमान मे हमीरा के साथ जेर मे निवास कर रही है। केली की संतान पुत्र पूना, महेश, रामा एवं पुत्री जमना, शारदा, लीला, उमी, मावनी हैं। राजस्व रेकर्ड खाता संख्या 56 व 55 रकबा 20.19हे. एवं 16.10हे. मे उपरोक्त वारिसान का बराबर हक है एवं खाता संख्या 80 रकबा 0.01बीघा मे उपरोक्त वारिसान का 1/3 हिस्सा हैं। मौके पर स्थित आराजीयात पर समस्त वारिसान हिस्सानुसार कार्य काश्त कर रहे हैं।

हमने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट, म्युटेशन की प्रमाणित प्रति एवं पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अपीलार्थीया द्वारा उक्त अपील तहसीलदार कोटड़ा के मात्र नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 21.01.1983 से व्यथीत हो इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं। नामान्तरकरण संख्या 129 आराजी संख्या 312/69 रकबा 15 बीघा एवं आराजी संख्या 316/184 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा से संबंधित है, जिसका नामान्तरकरण श्री रूपा पिता लखमा गमेती की मृत्यु के पश्चात् श्री पुना पिता रूपा गमेती को जायन्दा पुत्र बताकर नामान्तरकरण खोला गया हैं। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं सजरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक रूपा पिता लखमा गमेती के अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त और भी वारिसान है, जिनके नाम पर नामान्तरकरण श्री रूपा पिता लखमा गमेती की मृत्यु के पश्चात् खोला जाना चाहिये था, किन्तु नामान्तरकरण मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर खोला गया हैं, जो नियमानुसार खोला जाना जाहिर नही होता है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 129 दिनांक 21.01.1983 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर मृतक श्री रूपा पिता लखमा गमेती के विधिक वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर